(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 46/2023
दिनांकः– 06 मार्च, 2024

विषयः पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में संषोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संषोधित विदेष व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023 और दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना सं. 61/2023 के संदर्भ में महानिदेषक विदेष व्यापार एतदद्वारा आयात खेपें जो दिनांक 31.03.2024 के बाद भारतीय पत्तन पर आने वाली हैं के लिए पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली (वाइपी–आइएमएस) के तहत आयात खेपों के पंजीकरण हेतु प्रक्रियाओं में निम्नानुसार संषोधन करते हैं–

i. दिनांक 13.12.2023 की सार्वजनिक सूचना सं. 35/2023 के पैरा (ख) को हटा दिया गया है। आयात खेप के आगमन की प्रत्याषित तिथि से 5 दिन पूर्व वाइपी–आइएमएस पंजीकरण के एवज में, आयातक को लदान बिल की तिथि से 7 दिनों के भीतर अथवा इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो वाइपी–आइएमएस पंजीकरण लेना होगा।
ii. लदान बिल (पोतलदान किया गया) का विवरण वाइपी–आइएमएस पंजीकरण में घोषित किया जाएगा। एकाधिक लदान बिलों (पोतलदान किए गए) के विवरण एकल वाइपी–आइएमएस पंजीकरण के तहत विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
iii. लदान बिलों (पोतलदान किए गए) की सभी प्रतियां पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रुप से अपलोड की जानी चाहिए। आयातक उक्त लदान बिलों की प्रतियों में निर्यातक के विवरण को छिपाने का विकल्प चुन सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः आयात निगरानी प्रणाली (वाइपी–आइएमएस) के तहत दिनांक 31.03.2024 के बाद भारतीय पत्तनों पर आने वाली पीली मटर (आइटीसी (एचएस) कोड 07131010) के आयात के पंजीकरण हेतु समय–सीमा और प्रक्रियाएं संषोधित की गई हैं।

संतोष कुमार सारंगी
6.3.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/भाग - VI/ई–9019 से जारी)